PHILOSOPHY

Hons, Paper III (Part II)

Dr. S. K. Singh
Mob.-9431449951.

Theories of Punishment

(Retributive Theory of Punishment)

→ प्रतिशोधात्मक सिद्धांत (Retributive theory) दण्ड संबंधी सबसे प्राचीन सिद्धान्त है। इसका साधारण अर्थ यही है कि अपराधी से उसके द्वारा किये गये अपराध का बदला लिया जाये, उसके अपराध के अनुरूप उसे दण्ड प्रदान किया जाये।

→ यहाँ दण्ड को 'निषेधात्मक पुरस्कार' (Negative Reward) कहा जाता है, जो उसका देय है, उसे मिलना ही चाहिये। दण्ड का उद्देश्य नियम की प्रतिष्ठा को बनाये रखना और अपराधी को उसके दुष्कर्म का उचित फल प्रदान करना है।

→ यह सिद्धान्त दण्ड को अपने-आपमें साध्य (End-in-itself) मानता है, इसलिये दण्ड संबंधी इस सिद्धान्त को परिणामनिरपेक्षवादी सिद्धान्त (De-Ontological theory या Non-consequentalist theory) कहा जाता है।

→ यहाँ दण्ड का उद्देश्य किसी बाह्य लक्ष्य या उद्देश्य की प्राप्ति करना नहीं है, बल्कि अपराधी को दण्ड देना, उसे प्रतिफल प्रदान करना ही अपने आपमें उद्देश्य हो जाता है।

→ पुनः यहाँ इस बात पर विचार नहीं किया जाता कि आहत पक्ष (victim) का इस प्रतिशोध से क्या लाभ होगा? यहाँ अपराधी के सुधार करने की भावना या दूसरों को वैसा ही अपराध करने से रोकने की भावना के साथ दण्ड नहीं दिया जाता।

→ इस सिद्धान्त के समर्थक अरस्तू, कांट, हीगेल और ब्रैडले आदि आदर्शवादी विचारक मुख्य रूप से आते हैं।

कांट का कहना है कि कर्तव्य के अनुसार फल प्राप्ति का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है। यदि व्यक्ति बुरा कर्म करता है तो वह दण्ड का अधिकारी है। शर्त केवल यही है कि अपराध के अनुरूप ही दण्ड का विधान हो। दण्ड वस्तुतः किये गये अपराध का उचित फल है।

ब्रैडले का कहना है कि 'हम दण्ड इसलिये देते हैं कि 'दण्ड एक निषेधात्मक पुरस्कार है और मनुष्य के अपराध का सहज ~~फल है~~ प्रतिफल है'। चूँकि राज्य समाज की आत्मा का प्रतीक है, अतः राज्य को दण्ड देने का नैतिक अधिकार है। दण्ड के लिए राज्य की ओर से पुलिस एवं न्याय विभाग अपना-अपना काम करते हैं।

Scanned with CamScanner

→ प्रतिशोधात्मक सिद्धांत के समर्थकों के दो रूप हैं -
(i) कठोरतावादी (Rigid) और (ii) मृदुवादी (Soft)।
कठोरतावादी जहाँ अपराध के समरूप ही दण्ड व्यवस्था की बात करते हैं, वहीं मृदुवादी की दृष्टि में दण्ड देने के पूर्व अपराधी की अवस्था, लिंग, योग्यता एवं परिस्थिति पर गंभीरता से विचार करना चाहिये।

→ (i) कठोरतावादी → प्रतिशोधात्मक सिद्धांत के इस रूप का कहना है कि दण्ड अपराध के समानुपाती होना चाहिये। न्याय की यह मांग है कि जो जैसा करे, उसे वैसा फल मिले। कहने का आशय है कि बड़े अपराध का बड़ा दण्ड और छोटे अपराध का छोटा दण्ड। लोक-व्यवहार में यह बात स्वीकार्य है कि शठ के साथ शठता का व्यवहार करना चाहिये- 'शठे शाठ्यं समाचरेत्'।

कठोर रूप के अनुसार दण्ड का स्वरूप अपराध के ठीक अनुरूप (आनुपातिक समानता {Proportional Equality}) होता है। इस रूप में यह सिद्धांत 'जैसे को तैसा' का समर्थक है। इसका सूत्र-वाक्य है - 'आँख के बदले आँख, दाँत के बदले दाँत'। दण्ड देने के ~~संदर्भ~~ ~~क्रम में इच्छा व मानव विवेक~~ क्रम में यह सिद्धांत इच्छा व मानव विवेक व परिणाम का उपयोग नहीं करता।

(ii) मृदुवादी → प्रतिशोधात्मक सिद्धान्त का यह रूप अपराध के स्वरूप एवं परिस्थिति को ध्यान में रखकर अपराधी को दण्ड देने की वकालत करता है। यहाँ दण्ड का उद्देश्य अन्यों को अपराध करने से रोकना, पीड़ित व्यक्ति की संतुष्टि या अपराधी में सुधार करना न होकर नियम के प्रभुत्व की स्थापना करना है। इस क्रम में अपराधी के अपराध की प्रकृति एवं परिस्थिति को ध्यान में रखकर उसके अनुपात में दण्ड दिया जाता है। आधुनिक राज्य के दण्ड विधानों में इसकी स्वीकृति दिखाई देती है।

→ प्रतिशोधात्मक सिद्धांत ~~का मू~~ के दोनों रूपों में मृत्युदण्ड को स्वीकार किया गया है।
→ वस्तुतः प्रतिशोधात्मक सिद्धान्त का मूल प्रयोजन समाज न्याय एवं सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करना है।

Scanned with CamScanner